न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।

विशेष सत्र वाद सं०- 63/2016
सरकार --बनाम-- विक्रम आदि।
मुकदमा अपराध सं०-797/2015
धारा-363, 376, 344 भा०दं०सं० व
3/4 पॉक्सो एक्ट
थाना- कैसरगंज, जनपद बहराइच।

दिनांकः-29.05.2025

पत्रावली पेश हुयी। पुकार करायी गयी। अभियुक्त गैर हाजिर है।

पत्रावली के अवलोकन से यह पाया गया कि प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त लौंडऊ दिनांक 15.07.2016 से लगातार अनुपस्थित है तथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध धारा-84 बी०एन०एस०एस० की आदेशिका निर्गत की गयी है। धारा-84 बी०एन०एस०एस० की आदेशिका जारी होने के पश्चात भी अभियुक्त के दस्तेयाब न होने पर उसे फरार घोषित किया गया है। न्यायालय द्वारा निर्गत गिरफ्तारी अधिपत्र दिनांकित 18.04.2025 पर थाना स्थानीय द्वारा यह रिपोर्ट प्रेषित की गयी है कि अभियुक्त लौंडऊ घर पर नहीं है, बाम्बे भागा हुआ है। अभियुक्त के गैर हाजिर होने के कारण पत्रावली में अभी तक आरोप विरचन की कार्यवाही नहीं हो सकी है। अभियुक्त न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशिकाओं के बावजूद लगातार अनुपस्थित है एवं थाना स्थानीय द्वारा अभियुक्त के सम्बन्ध में कोई जानकारी प्राप्त नहीं हो पाने का कथन किया गया है। वर्णित परिस्थिति के दृष्टिगत पत्रावली को अन्तर्गत धारा-335 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत निस्तारित किया जाना न्यायसंगत पाया जाता है। तदनुसार विशेष दाण्डिक वाद सं०- 63/2016, मुकदमा अपराध संख्या-797/2015, अन्तर्गत धारा-363, 376, 344 भा०दं०सं० व 3/4 पॉक्सो एक्ट, थाना कैसरगंज निम्नलिखित शर्तों के अधीन दाखिल अभिलेखागार की जाती है-

1- अभियुक्त लौंडऊ के विरूद्ध स्थायी गैर जमानतीय वारण्ट निर्गत हो।
2- सम्बन्धित थानाध्यक्ष अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर उसे न्यायालय में उपस्थित करेंगे।
3- पत्रावली पर वीड आउट न किये जाने के सम्बन्ध में अंकन किया जायेगा तथा अभिलेखपाल पत्रावली को नियमानुसार सुरक्षित रखना सुनिश्चित करेंगे।
4- अभियुक्त के गिरफ्तार होने पर अथवा आत्मसमर्पण करने पर पत्रावली अभिलेखागार से तलब हो वाद की अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
5- जनरल रूल क्रिमिनल अमेन्डमेन्ट 2019 के नियम 116-ई के तहत वाद की स्केलटन पत्रावली तैयार की जायेगी, जिसमें आवश्यक प्रपत्र संलग्न किये जायेंगे। स्केलटन पत्रावली विविध वाद के रूप में पंजीकृत की जायेगी और प्रत्येक 6 माह में सम्बन्धित थाने से अभियुक्त की गिरफ्तारी व वारण्ट के सम्बन्ध में पूछताछ करते हुये यथानिर्देश जारी किया जायेगा।

(दीप कान्त मणि)
अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश
(पॉक्सो ऐक्ट), बहराइच।

Digitally signed by DEEP KANT MANI
Date: 2025.05.29 13:18:53 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court